फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय–मंडल शस्त्रा विभाग, तृतीय तल, एलआईसी भवन, सबसिटी सेन्टर रेती स्टेण्ड, उदयपुर राजस्थान तथा शाखा कार्यालयः रेलमगरा

–प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती कमला एस शर्मा पत्नी श्री सुरेश शर्मा, आराजी नं. 301 गांव आकोदरा, तहसील नाथद्वारा जिलाः राजसमंद **– – –ऋणी**

अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 51/2022**

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 12.04.2022 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक,उदयपुर शाखा रेलमगरा ने दिनांक 23.02.2022 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी ने प्रार्थी बैंक से जरिये खाता ऋण करार संख्या 22597011000133, के द्वारा 10.00 लाख रूपये का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुर्नभुगतान की सिक्योरिटी के पेटे अपनी अचल संपत्ति – (1) राजस्व ग्राम आकोदरा, तहसील नाथद्वारा में स्थित श्रीमती कमला एस शर्मा पत्नी श्री सुरेश शर्मा के नाम भूमि एवं निर्माण आवासी संपति पट्टा नं. 83 क्षेत्रफल 314.16 वर्गफीट को प्रार्थी बैंक के पास रहन किया। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी बैंक के उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सकें और दिनांक 10.05.2021 को ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत डिफाल्ट होने पर अप्रार्थीगण के उक्त ऋण खाते को एन.पी.ए. घोषित कर दिया है। प्रार्थी बैंक के अप्रार्थी से उक्त ऋण खाता संख्या 22597011000133 में मात्र बकाया रकम व ब्याज दिनांक 31.08.2021 तक 10,27,153.82 रू. शेष व देय निकलते है की मांग हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत दिनांक 28.09.2021 को एक मांग नोटिस भी जरिये रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अप्रार्थी को उनके ज्ञात पतें पर प्रेषित किया जो भारतीय डाक विभाग के ट्रेक कन्साइमेंट अनुसार दिनांक 11.10.2021 को प्राप्त हो गया। परंतु धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति व जानकारी के	

न्यायालय जिला कलक्टर

पश्चात भी अप्रार्थी द्वारा देय राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं किया है। अप्रार्थी ने प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त ऋण अवधि की पुर्नभुगतान के लिए जो संपत्ति ऋणी श्रीमती कमला एस शर्मा पत्नी श्री सुरेश शर्मा के नाम राजस्व ग्राम आकोदरा, तहसील नाथद्वारा में स्थित भूमि एवं निर्माण आवासी संपति पट्टा नं. 83 क्षेत्रफल 314.16 वर्गफीट रहन रखी है। उसका प्रार्थी बैंक में रहन दस्तावेजों के अनुसार विवरण इस प्रकार है:–

(1) पूर्व में:– श्री भंवरलाल पिता श्री डालचंद शर्मा का मकान
(2) पश्चिम में:– आम रास्ता
(3) उत्तर में:– श्री भैरूलाल पिता श्री खेमराज तेली का मकान
(4) दक्षिण में:– श्री गोपीलाल पिता श्री हीरालाल तेली का मकान

प्रार्थी बैंक उक्त वर्णित सिक्यूरिटी रहनशुदा संपत्तियों का वास्तविक कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने का अधिकारी है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पति का कब्जा अप्रार्थी से प्राप्त कर प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने की कृपा करावें।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 का नोटिस दिनांकः 28.09.2021 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी भारतीय डाक विभाग के ट्रेक कन्साइमेंट की प्रति पेश की गई । उसके बावजुद भी अप्रार्थी द्वारा ऋण की बकाया राशि मय ब्याज सहित का भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया। आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी बंधक सम्पति का विवरण श्रीमती कमला एस शर्मा प्त्नी श्री सुरेश शर्मा के नाम राजस्व ग्राम आकोदरा, तहसील नाथद्वारा में स्थित भूमि एवं निर्माण आवासी संपति पट्टा नं. 83 क्षेत्रफल 314.16 वर्गफीट है । सीमाएँ–पूर्व में:– श्री भंवरलाल पिता श्री डालचंद शर्मा का मकान, पश्चिम में:– आम रास्ता, उत्तर में:– श्री भैरूलाल पिता श्री खेमराज तेली का मकान, दक्षिण में:– श्री गोपीलाल पिता श्री हीरालाल तेली का मकान है।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, रेलमगरा के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित

न्यायालय जिला कलक्टर